भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2170

सोमवार, 09 दिसम्बर, 2024 / 18 अग्रहायण, 1946 (शक)

छोटे दुकानदारों के लिए आर्थिक सुरक्षा

2170. श्री यदुवीर वाडियारः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छोटे दुकानदारों की आर्थिक सुरक्षा पर ध्यान दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या देश में लगभग तीन करोड़ छोटे व्यापारियों/दुकानदारों को दुकानदारों/खुदरा व्यापारियों तथा स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए पेंशन योजना से लाभ मिलने की संभावना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) कर्नाटक राज्य में उक्त पेंशन योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए गए छोटे दुकानदारों तथा खुदरा व्यापारियों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री

(सुश्री शोभा कारान्दलाजे)

(क) से (घ) व्यापारियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना सितंबर, 2019 में शुरू की गई थी। यह व्यापारियों, दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद 3000/- रुपये की न्यूनतम सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान करने के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है।

योजना का विवरण निम्नानुसार है:-

मापदंड	ब्यौरा
आयु	18-40
मासिक आय/ टर्नओवर	पीएम-एसवाईएम के लिए 15,000 रुपये प्रति माह तक और एनपीएस के लिए 1.5 करोड़ रुपये से कम टर्नओवर वाले व्यापारी
मासिक अंशदान	55 रुपए से 200 रुपए प्रति माह
अपवर्जन मापदंड	एनपीएस/ईएसआईसी के सदस्य/ईपीएफओ
समावेश के मापदंड	आयकर दाता

दिनांक 04-12-2024 तक की स्थिति के अनुसार, 57739 व्यापारी उक्त पेंशन योजना में नामांकित हैं, जिनमें कर्नाटक राज्य के 2782 व्यापारी शामिल हैं।

*****